विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ. नि.) प्रकरण, कोटा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार शर्मा, (RJS DJ Cadre)

जमानत आवेदन (सी.आई.एस.) संख्या : 179/2026

सी.एन.आर. नंबर : RJKT070004582026

1. मोहम्मद साहिल पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र 25 साल
2. आकिब हुसैन उर्फ हाकिब पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र 23 साल
3. रजिया बानो उर्फ लल्ली पत्नी जाकिर हुसैन, उम्र 45 साल, निवासी मकान नम्बर 106, प्रताप नगर 3, थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक

....अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 253/2026, थाना बोरखेड़ा, कोटा, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(2)(va) अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम

उपस्थितः-

1. श्री अरमान अली, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2. श्री रितेश मेवाड़ा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से
3. फरियादिया स्वयं उपस्थित

:: आदेश :: दिनांकः 10.08.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मोहम्मद साहिल, आकिब हुसैन एवं रजिया बानो उर्फ लल्ली** की ओर से जरिये अधिवक्ता जमानत का

Authenticated Document

यह आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई जाकर बहस जमानत सुनी गई एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में दिनांक 10.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष हैं, उन्हें महज रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन रहा कि फरियादीपक्ष पड़ौसी हैं और मात्र गली में गेट निकालने को लेकर मामूली कहासुनी हुई है और रंजिशवश यह झूंठा प्रकरण उनके विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। प्रार्थिया रजिया बानो महिला है। प्रार्थीगण द्वारा फरियादी के साथ किसी प्रकार की मारपीट कर चोटें कारित नहीं की गई हैं और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित ही किया गया है। अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि) अधिनियम के अलावा शेष सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। प्रार्थीगण का पूर्व का कोई आपराधिक रेकार्ड भी नहीं रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उनसे कोई बरामदगी एवं अनुसंधान भी शेष नहीं है। अभी प्रकरण के अन्वेषण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाकर छोड़ा जावे। अपने तर्क समर्थन में

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों को सुनने, अनुसंधान पत्रावली व विधि व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त जमानत आवेदन के क्रम में न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा. एवं अ.ज.आ. (अ.नि.) अधिनियम के अपराध के आरोप हैं जिनमें आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड का प्रावधान नहीं है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी एवं अनुसंधान शेष नहीं होना भी बताया गया है। पक्षकारान का आपस में पड़ौसी होकर गली में गेट को लेकर झगड़ा होना दर्शित है। प्रार्थिया रजिया बानो महिला है। आहतगण के कारित चोटें

Authenticated Document

कुन्दालय से होकर साधारण प्रकृति की आना दर्शित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं और अभी प्रकरण के अन्वेषण व तत्पश्चात् विचारण में समय लगेगा। केस डायरी पर संलग्न आपराधिक रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना भी दर्शाया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, कारित अपराध की प्रकृति व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मोहम्मद साहिल, आकिब हुसैन एवं रजिया बानो उर्फ लल्ली** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आते रहने बाबत इस न्यायालय के संतोषप्रद पचास रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(अमित कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय,
अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),कोटा

आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

(अमित कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय,
अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),कोटा

MAHESH KUMAR SINGHAL
Digitally signed by MAHESH KUMAR SINGHAL
Date: 2026.08.11 09:59:49 +0530

Authenticated Document